

3/7/2022

Mot...

5/7

7/7/22

पत्ना. पेशा हुई। प्रार्थी वकील उप०। प्रार्थी  
का सवा नोट-पुस्त में खारेज किया जा  
चुका है। अतः सब प्रार्थना-पत्र 212 RTA  
का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।  
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 RTA  
स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र खारेज  
किया जाता है।  
पत्रांक कुमल कुमार होकर दाखिल किया है।

✓